न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 07 सन् 2017

पंजीयन दिनांक 12.01.2017

1. खेमराज पिता रतना जाति भील मृतक के बजाय–
   1. भुरी पत्नि खेमराज जाति भील निवासी नरसिंहगढ तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
   2. प्रहलाद पिता खेमराज जाति भील निवासी नरसिंहगढ तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
   3. निर्भयराम पिता खेमराज जाति भील निवासी नरसिंहगढ तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
   4. लालचंद पिता खेमराज जाति भील निवासी नरसिंहगढ तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
   5. लाजवन्ती पुत्री खेमराज जाति भील निवासी नरसिंहगढ तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
   6. कला पुत्री खेमराज जाति भील निवासी नरसिंहगढ तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
2. कंवरलाल पिता रतना जाति भील निवासी नरसिंहगढ तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट्गण

विरूद्व

1. रतनलाल पिता भुवाना उर्फ भाना जाति भील निवासी नरसिंहगढ तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
2. धनराज पिता रतना जाति भील निवासी नरसिंहगढ तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
3. मोहनलाल पिता रतना जाति भील निवासी नरसिंहगढ तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
4. भेरूलाल पिता भुवाना जाति भील निवासी नरसिंहगढ तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
5. नारायण पिता भुवाना जाति भील निवासी नरसिंहगढ तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
6. रामचन्द पिता भुवाना जाति भील –मृतक के बजाय
   1. श्रीमती शांति पत्नि रामचन्द्र जाति भील निवासी नरसिंहगढ तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
   2. मु. बद्री पुत्री रामचन्द्र पत्नि गोपाल जाति भील निवासी टाटरमाला तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
   3. गोरीलाल पिता रामचन्द्र जाति भील निवासी नरसिंहगढ तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

4. भागचन्द पिता रामचन्द्र जाति भील निवासी नरसिंहगढ तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

-रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
अंतिम निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा
प्रकरण संख्या 321/2008 अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.2016

उपस्थित- 1. शहादत अली -अधिवक्ता अपीलान्टस
2. रेस्पोडेन्ट्गण 1 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित
3. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अभिभाषक-रेस्पो.सं. 7

निर्णय **दिनांक 06.06.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्गण वादीगण ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं.1 से 8 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा नरसिंहगढ तहसील निम्बाहेडा की खाता सं. 148 मे दर्ज आराजी नम्बर 219, 223, 357/209, 402/204, 405/203, 206 कुल किता 6 कुल रकबा 14 बीधा 14 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त कृषि आराजीयात मे अपीलान्ट्गण व रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण व प्रतिवादीगण के पुश्तैनी पैतृक अविभक्त कृषि आराजीयात होकर संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जे काश्त मे चली आ रहा है। इसमे 1/6 हिस्सा प्रत्येक वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से 4 का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं. 5 से 7 का 1/6 हिस्सा होकर इसी अनुसार बाहमी बंटवाडे से मौके पर काबिज चले आ रहे है। मौजा नरसिंहगढ तहसील निम्बाहेडा की आराजी नम्बर 511/150 आराजी नम्बर 532/303 कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा अपीलान्ट्गण वादीगण व रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण के पैतृक कृषि आराजीयात होकर संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जे काश्त की है जिसमे अपीलान्ट्गण वादीगण व रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 प्रत्येक का 1/6 हक व हिस्सा होकर काबिज है। वादपत्र मे यह भी अंकित किया कि वादपत्र की कलम सं. 1 व 2 मे वर्णित आराजीयात संयुक्त खातेदारी मे दर्ज चली आ रही है। जिनका विधिवत बंटवाडा कराने के लिये रेस्पोडेन्ट्गण को कहा परन्तु एक माह पूर्व बंटवाडा कराने से इंकार कर दिया। रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण सं. 1 रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण सं. 3,4,5 के सिखावे मे आकर अपीलान्ट्गण वादीगण को उनके हक व अधिकार से वंचित करने की नियत से वादग्रस्त आराजीयात मे से अपने हिस्से को अन्य को रहन बह हिबा आदि से नुमाईशी दस्तावेज के जरिये मुन्तकिल करने पर आमादा है। यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट्गण वादीगण उक्त कृषि आराजीयात का बंटवाडा करा खाता सं. 148 मे 1/4 व खाता सं. 149 मे 1/6 प्रत्येक अपीलान्ट्गण वादीगण का घोषित करा उनकी अलग-अलग खातेदारी मे दर्ज कराने तथा आराजीयात का वादपत्र मे वर्णित कलम नम्बर 2 मे वर्णित कृषि

आराजीयात का बंटवाडा अपीलान्टगण वादीगण व रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के बीच करा प्रत्येक अपीलान्टगण वादीगण का 1/6 हिस्सा उनके अलग-अलग खातेदारी की घोषित करा अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व जवाबदावा प्रस्तुत किया। व जवाबदावे मे यह तथ्य अंकित किये कि आराजीयात के पुश्तैनी होने से प्रतिवादी सं. 1,4,5,6 प्रत्येक का शामलाती 1/4 हक व हिस्सा है। रेस्पोडेन्टगण वादीगण प्रतिवादी सं. 2,3,4 प्रत्येक का एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हक व हिस्से मे आधा हिस्सा है। जो 1/8 रतनलाल के वारिसान होने से उसके नाम दर्ज है। जिनका पृथक-पृथक 1/40 हक हिस्सा है। मौके पर अपीलान्टगण वादीगण जबरन अधिक हिस्से पर कब्जा प्राप्त करना चाहते है। जवाबदावे मे यह भी अंकित किया कि वादपत्र कि चरण सं.2 मे अंकित कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 के कब्जे काश्त की है। जो रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी को विधिवत आंवटन होकर स्वअर्जित है और इस कृषि आराजीयात मे रेस्पोडेन्ट सं.1 के अलावा अन्य का कोई हक नही है। जवाबदावे मे यह भी अंकित किया कि अपीलान्टगण वादीगण द्वारा रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को नाजायज परेशान किया जा रहा है। उनके 1/40, 1/40 हक व हिस्से से अधिक कृषि भूमि पर कब्जा करने व रेस्पोडेन्टगण को बेदखल करने पर आमादा है। उक्त जवाबदावे के आधार पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने दिनांक 11.02.2009 को तनकियात कायम की व तत्पश्चात् पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण अपीलान्टगण नियत की गई जिसमे पीडब्ल्यू-1 व पीडब्ल्यु 2 अपीलान्टगण वादीगण की साक्ष्य ली जाकर पत्रावली वास्ते शहादत प्रतिवादी मे नियत की गई। तत्पश्चात् साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नही होने से शहादत प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दिनांक 07.01.2013 को एक तरफा बहस सुनी जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने पत्रावली मे प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। तहसीलदार निम्बाहेडा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर पत्रावली मे फर्द बंटवाडा तलब किया गया। जिस पर कमिश्नर तहसीलदार निम्बाहेडा के द्वारा अपने अधीनस्थ पटवारी हल्का से फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर कमिश्नर तहसीलदार निम्बाहेडा के द्वारा अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे दिनांक 04.07.2016 को फर्द बंटवाडा प्रस्तुत किया गया। उक्त फर्द बंटवाडा बिना तारीख पेशी के रेकार्ड पर लिया जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण वादीगण की ओर से इस न्यायालय मे दिनांक 06.01.2017 को म्याद बाहर अपील प्रस्तुत की गई। अपील के साथ धारा 5 कानून म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

इस न्यायालय मे अपीलान्टगण वादीगण की ओर से अपील प्रस्तुत होने पर अपील पंजीबद्ध की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़

अधिवक्ता अपीलान्ट्गण वादीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई। जिससे अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। व प्रार्थना पत्र मे यह निवेदन किया गया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्ट्गण वादीगण को नही थी। सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 28.12.2016 को जानकारी हुई, तब अपीलान्ट्गण वादीगण ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी प्रमाणित प्रति दिनांक 29.12.2016 को प्राप्त हुई जिससे वाद जानकारी अपील अन्दर म्याद पेश है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होने से प्रार्थीगण वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट्गण ने अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट्गण वादीगण की ओर से वादपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमे रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। जवाबदावे के अनुसार अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने तनकियात कायम की व साक्ष्य लिवाई जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने दिनांक 07.01.2013 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर तहसीलदार निम्बाहेडा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर फर्द बंटवाडा तलब किया गया। आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.01.2013 नियत की गई। कमिश्नर द्वारा फर्द बंटवाडा हेतु अपीलान्ट्गण वादीगण को कोई सूचना पत्र जारी नही किया गया, व बिना पक्षकारान की उपस्थिति मे फर्द बंटवाडा पटवारी हल्का के द्वारा तैयार किया जाकर नियत तारीख पेशी के पश्चात् पटवारी हल्का नरसिंहगढ के द्वारा बिना पक्षकारान को सूचना पत्र जारी किये मनमकसुद तरीके से कब्जे को नजरअदांज कर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित बंट्वाडा नियम 18 से 21 की पालना किये बगैर फर्द बंट्वाडा तैयार किया जाकर दिनांक 04.07.2016 को अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत कर दिया गया। व उसी फर्द बंट्वाडे के अनुसार बिना पक्षकारान को सुने बिना तारीख पेशी के दिनांक 26.10.2016 को अधीनस्थ विद्धवान विद्धवान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जावे। दोराने वाद प्रतिवादिया चम्पाबाई का स्वगर्वास हो चुका था, जिसकी जानकारी पटवारी हल्का को होते हुए पटवारी हल्का ने मृतक चम्पाबाई को भी फर्द बंट्वाडे मे सम्मिलित करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया व उसके अनुसार चम्पाबाई को भी अंतिम निर्णय व डिक्री व हक व हिस्सा दिया गया जबकि चम्पाबाई का स्वर्गवास प्राथमिक निर्णय व डिक्री के पश्चात् हो चुका था। ऐसी स्थिति मे मृतक चम्पाबाई को भी अंतिम निर्णय व डिक्री मे भी हिस्सा दिया गया है, जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 7 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री को माफिक हक व हिस्से अनुसार होकर विधिपूर्ण होना बताते हुए अपीलान्ट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलान्ट्गण वादीगण ने विचारण न्यायालय मे घोषणा बंटवाडा स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसमे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 12.05.2008 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। जवाबदावे मे अपीलान्ट्गण वादीगण का हक व हिस्सा होना स्वीकार किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दावा व जवाबदावे के अनुसार तनकियात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। अपीलान्ट्गण वादीगण की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत किये, व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजो को प्रदर्शित करवाया है। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट्गण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई। वक्त बहस भी उपस्थित नही हुए जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट्गण वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई व उसके पश्चात् विवादित आराजीयात के सम्बन्ध मे तहसीलदार से फर्द बंटवाडा तलब किया गया। जिसमे तहसीलदार स्वंय के द्वारा फर्द बंटवाडा तैयार नही कर अपने अधीनस्थ पटवारी हल्का से पक्षकारान की अनुपस्थिति मे बंटवाडा नियम 18 से 21 की पालना किये बगैर फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। प्राथमिक निर्णय व डिक्री के पश्चात् प्रतिवादिया सं. 2 चम्पाबाई का स्वर्गवास हो चुका था। फिर भी चम्पाबाई को फर्द बंटवाडे मे सम्मिलित करते हुए अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे बंटवाडा नियम 18 से 21 की पालना किये बगैर फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्धवान न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया; जिसमे अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे वादीगण उपस्थित नही थे न ही अपीलान्ट वादीगण को सूचना दी गई। बिना तारीख पेशी के पत्रावली तलब कर रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता की उपस्थिति ली जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री मृतक चम्पाबाई के विरूद्ध पारित की गई जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री मृतक के विरूद्ध व बिना पक्षकारान की सहमति के पारित की गई। अंतिम निर्णय व डिक्री बंटवाडा नियम 18 से 21 की पालना नही किये जाने से न्यायोचित नही है न ही अपीलान्ट्गण वादीगण को अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय व डिक्री के पूर्व सुना

गया है, जिससे अंतिम निर्णय व डिक्री अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित की गई वह संहवनीय नही होने से अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण वादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा प्रकरण संख्या 321/2007 रेवेन्यू वाद अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.2016 निरस्त की जाकर पत्रावली अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विवादित कृषि आराजीयात की प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07.01.2013 के अनुसार उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे फर्द बंटवाडा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तलब किया जाकर फर्द बंटवाडे पर उभय पक्षकारान की आपत्ति व एतराज को सुना जाकर पुनः अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटायी जावे।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ